

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 302 /2025 दिनांक : 16.10.2025

इस कार्यालय के आदेश कमांक स्था. (रा.न्या.से.) सं.प.अ./127/2025 दिनांक 28.02.2025 के द्वारा **श्रीमती अजन्ता अग्रवाल (RJ00681)**, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़) को दिनांक 10.03.2025 से 21.03.2025 तक 12 दिनों का **संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave)** दिनांक 08.03.2025 से 09.03.2025 एवं 22.03.2025 से 23.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 21.03.2025 का एक दिवस का **संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave)** को **निरस्त** किया जाता है।

आज्ञा से
10/10/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण-द्वितीय)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/50/2011/ 2064

दिनांक : 16.10.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।
3. **श्रीमती अजन्ता अग्रवाल (RJ00681)**, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़) को उनके पत्रांक 357 दिनांक 24.03.2025 के सन्दर्भ में।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, अलवर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)।
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़)।
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर)।

सहायक रजिस्ट्रार